महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-2614/नौ-5-2016-265सा/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः: दिनांक 24 अगस्त, 2016

विषय: नगर विकास विभाग के अन्तर्गत विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यो में शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर विकास विभाग के अन्तर्गत विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यो में शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने के सम्बन्ध शासनादेश संख्या-399/नौ-5-2016-265सा/2015 दिनांक 24 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दायर की गयी रिट याचिका संख्या-18321/2016 शुजाउद्दीन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के अनुपालन में प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 24.02.2016 के प्रस्तर 2.2 "वर्तमान सरकार के कार्यकाल मे कराये गये विकास कार्यो से संबंधित पूर्व में लगाये गये शिलालेख/पट्टिकाओ मे तत्काल उपरोक्तानुसार संशोधन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय" का क्रियान्वयन एतद्द्वारा स्थगित किया जाता है।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 24.02.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

24/8/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- (1)/नौ-5-2016-265सा/2015,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त महापौर/मा0अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0
3. निदेशक, सूडा/नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, सीएण्डडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल।
6. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

paras.GO